संख्या–15(स)/15–12–2012

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–12 लखनऊ : दिनांक: 25 मई, 2012

विषयः– प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में शासन की अनुमति के उपरान्त नियुक्ति की व्यवस्था में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप के पत्र संख्या–सा0–1–शि0/537/2012–13, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में बिना पद सृजन कराये अनियमित ढंग से अध्यापकों की नियुक्ति कर राजकोष पर अनावश्यक व्यय भार बढ़ाने हेतु प्रबन्धतंत्रों द्वारा निरन्तर किये जा रहे प्रयासों का संज्ञान लेते हुए शासनादेश संख्या–783/79–6–03–04 जी(1)/03 दिनांक 19 अप्रैल, 2003 द्वारा उक्त प्रकार के विद्यालयों में पद सृजन, अतिरिक्त कक्षा वर्ग की अनुमति, नियुक्ति तथा अनुमोदन की कार्यवाही पूर्णरुपेण शासन की पूर्वानुमति तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये थे और यह भी निर्देश दिये गये थे कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्तियाँ विद्यालय की छात्र संख्या, सृजित पद, वार्षिक परिणाम और कार्यभार के सामंजस्य की स्थिति स्पष्ट करते हुए शासन को प्रस्तुत कर शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त की जाये।

2– उक्त आदेशित व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त जनपद स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण के उपरान्त शासन को प्रेषित करने एवं शासन स्तर पर परीक्षणोंपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है और अध्यापकों की समयान्तर्गत व्यवस्था न होने के कारण शिक्षण कार्य कुप्रभावित होता है।

3– निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के उपरान्त यह अपरिहार्य हो गया है कि बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों की समय से विद्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।

4– कतिपय प्रकरणों में (यथा रिट याचिका संख्या–12977/2012–जनपद पीलीभीत तथा रिट याचिका संख्या–25733/2012 –जनपद कानपुर) मा0 न्यायालय द्वारा भी सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त दिये जाने और प्रकरण में होने वाले प्रक्रियागत विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

5– सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों के चयन/नियुक्ति से सम्बन्धित नियमावली बनाने का प्रकरण शासन के सक्रिय विचार में है अतः प्रश्नगत नियमावली प्रख्यापित होने तक सम्बद्ध प्राईमरी प्रभाग में रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति दिये जाने का अधिकार सम्बन्धित जिला

–2/–

विद्यालय निरीक्षकों को दिये जाने का निर्णय, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, लिया गया है :-

(i) पद सृजन, अतिरिक्त कक्षा वर्ग की अनुमति दिये जाने का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को नहीं होगा।

(ii) अनुदानित होने के समय सम्बद्ध प्राईमरी प्रभाग की जनशक्ति कितनी थी और उसके सापेक्ष वर्तमान में कितनी जनशक्ति है, का सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।

(iii) प्रबन्धतंत्र द्वारा जब किसी सृजित पद के विरुद्ध नियुक्ति की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी जायेगी तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की पंजीकृत छात्र संख्या, औचक निरीक्षण में छात्रों की उपस्थिति का संज्ञान लेना होगा।

(iv) जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्ति की प्रकिया पारदर्शी है, और वह यह भी देखेगें कि रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है अथवा नहीं।

(v) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जब भर्ती हेतु अनुमति दी जायेगी तो उसकी सूचना शिक्षा निदेशक एवं शासन को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(vi) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रों की संख्या के सापेक्ष कार्यरत अध्यापकों की संख्या का परीक्षण मानक के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) जिला विद्यालय निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि आरक्षण नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

(viii) संयुक्त शिक्षा निदेशकों द्वारा जनपदीय भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदों को भरे जाने हेतु दी गयी अनुमति का सत्यापन निश्चित रुप से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) विद्यालय प्रबन्धतंत्र एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की दुरभिसन्धि का प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सम्बन्धित सक्षम स्तर से की जायेगी।

6- उपरोक्तानुसार सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग में अध्यापकों की उपलब्धता समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से और प्रक्रियात्मक अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए शासनादेश संख्या-783/79-6-03-4 जी(1)/03 दिनांक 19 अप्रैल 2003 जिसमें नियुक्तियाँ शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
सचिव।

संख्या-15(स)(1)/15-12-2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एफ0 एन0 प्रधान)
विशेष सचिव।